भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2621

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

₹1 करोड़ से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के मामले

2621. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में ₹1 करोड़ से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे मामलों में शामिल कुल राशि कितनी है; और

(ग) अब तक कितनी राशि वसूल की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों की संख्या, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए शामिल राशि और वसूले गए राशि के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

अनुबंध

'₹1 करोड़ से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के मामले के संबंध में दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं 2621 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध'

वर्ष 2021 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और एआईएएफ द्वारा सूचित किए गए 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों के ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष (वि.व)	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	वसूल की गई राशि
2020-21	1,066	97,508.55	510.06
2021-22	889	34,126.47	374.27
2022-23	740	14,312.78	980.09
2023-24	641	9,080.50	342.48
2024-25	941	30,121.98	1,287.86
2025-26	1,330	46,559.84	2,788.38

स्रोत: आरबीआई
